(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1398–तीन/2005 विरूध्द आदेश दिनांक 26–07–2005 पारित आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 179/अ–6/2001–02 निगरानी.

कुवेरप्रसाद तनय छोटू प्रसाद द्विवेदी
निवासी महोईकलां, तह0 गौरिहार,
जिला छतरपुर, म0प्र0 ——— आवेदक

विरूध्द

1– वित्तोबाई बेवा राममूर्ति ब्राम्हण
निवासी महोईकलां, तह0 गौरिहार,
जिला छतरपुर व्दारा रामकिशोर तिवारी,
छतरपुर, म0प्र0
2– म0प्र0 शासन ——— अनावेदकगण

श्री नितेन्द्र सिंघई, अभिभाषक -- आवेदक
श्री राजेश त्रिवेदी, अभिभाषक– अनावेदक क0–2 शासन

आदेश

(आज दिनांक 11.8.2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त, सागर संभाग, सागर के निगरानी प्रकरण कमांक 179/अ–6/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 26–07–2005 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि नामान्तरण पंजी क0 39 आदेश दिनांक 20–3–82 के विरूध्द अनावेदक वित्तोबाई व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 22–08–89 को प्रस्तुत की और विलम्ब को माफ

करने हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया। समय बिन्दू पर उभय पक्ष को सुनने के बाद अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 11–6–91 व्दारा अपील जानकारी के दिनांक से समयावधि में होना मान्य किया। इस आदेश के विरूध्द आवेदक कुवेरप्रसाद व्दारा निगरानी अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 22–01–02 व्दारा निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया। अनावेदक वित्तोबाई व्दारा प्रस्तुत निगरानी आयुक्त, सागर संभाग ने अपने आदेश दिनांक 26–7–05 में यह निष्कर्ष निकाला है कि नामान्तरण के पूर्व ना तो इश्तहार का प्रकाशन किया गया और ना ही संबंधित हितधारी पक्षकार को व्यक्तिगत सूचना दी गयी। अतः आयुक्त व्दारा निगरानी स्वीकार कर अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 22–01–02 निरस्त किया है और प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को वापस भेजा है कि उभय पक्ष को सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का गुण–दोष पर शीघ्र आदेश पारित करें। इस आदेश के विरूध्द आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने आवेदक तथा अनावेदक क0–2 शासन के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदक के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि नामान्तरण पंजी में नामान्तरण आदेश सहमति के आधार पर पारित किा गया, इस कारण सहमति आदेश के विरूध्द अपील प्रचलन योग्य नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अनावेदक व्दारा 7 वर्ष 5 माह पश्चात अपील प्रस्तुत की गयी है, जबकि उसे नामान्तरण आदेश की जानकारी शुरू से थी। उनका यह भी तर्क ह कि अनावेदक वित्तोबाई स्व. बरंगीदीन की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिये उसे अपील करने का वैधानिक अधिकार नहीं

था। अतः आवेदक अभिभाषक व्दारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदक क0–2 शासन के अभिभाषक का तर्क है कि नामान्तरण के पूर्व इश्तहार जारी नहीं किया गया और ना ही हितबध्द पक्षकारों को सूचना दी गयी, इसलिये आयुक्त व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील को समयावधि में मान्य करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया। अनावेदक क0–1 के ओर से कोई उपस्थिति नहीं हुआ।

5/ नामान्तरण पंजी कमांक 39 वर्ष 1981–82 के अवलोकन से विदित होता है कि नामान्तरण पंजी में बजरंगी फोत होना तथा उसके तीन भाई मम्मू, रामेश्वर एवं छोटू होना दर्शाया है। पटवारी ने यह भी अंकित किया है कि बजरंगीदीन ने अपने हिस्से की पूरी भूमि कुबेरसिंह को दी है। नामान्तरण पंजी में पटवारी रिपोर्ट एवं वारिसान के सहमति के आधार पर दिनांक 20–3–82 को नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। नामान्तरण पंजी में छोटू के हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा नहीं है, इसलिये उसे सहमति आदेश नहीं माना जा सकता। नामान्तरण पंजी में इश्तहार की प्रति भी चस्पा नहीं है। मृत बजरंगी व्दारा अपने हिस्से की भूमि आवेदक कुबेरप्रसाद को देने के संबंध में कोई प्रमाण भी तहसील में प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस कारण पटवारी की रिपोर्ट व मृत दो भाई मम्मू एवं रामेश्वर के पंजी में निशानी अंगूठा लगे होने से उसे सहमति मानकर आदेश पारित करना प्रथमदृष्टया विधिसंगत प्रतीत नहीं होता। आवेदक छोटू प्रसाद का पुत्र है तथा अनावेदक वित्तोबाई छोटूप्रसाद के पुत्र राममूर्ति की विधवा है और तथ्य से आवेदक व्दारा इन्कार नहीं किया गया है। ऐसी दशा में अनावेदक वित्तोबाई नामान्तरण में हितबध्द पक्षकार थी और नामान्तरण के पूर्व संहिता की धारा 110 की उपधारा (3) तथा नामान्तरण नियमों के नियम 27 के अनुसार उसे सूचना देकर सुनवायी

का अवसर प्रदान करना आवश्यक था, किन्तु नामान्तरण पंजी में नामान्तरण प्रमाणीकृत करने के पूर्व ना तो विधिवत इश्तहार प्रकाशन किया गया और ना ही हितबध्द पक्षकार को सूचना दी गयी, इस कारण नामान्तरण आदेश की जानकारी से अपील समयावधि में मान्य करने में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा कोई त्रुटि नहीं की गयी थी जिसे विव्दान आयुक्त, सागर संभाग ने अपने आलोच्य आदेश व्दारा बहाल किया गया है। ऐसी दशा में निगरानी में हस्तक्षेप करने का समुचित आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता हैं। आयुक्त का आदेश दिनांक 26–07–05 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0